

प्रेषक,

निदेशक,

राज्य पोषण मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: C-2960 / रा०पो०मि० / पो०अभि० / 2020-21

दिनांक २७ जनवरी, 2021

विषय: पोषण अभियान अन्तर्गत सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन के सम्बन्ध में।

(कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए)

आप अवगत हैं कि कोविड-19 के कारण प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र बन्द चल रहे थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.01.2021 में निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं:—व

I) As per guidance note dated 11.11.2020 issued by Government of India, Ministry of Women and Child Development, all States/Union Territories who have not yet opened Anganwadi Centres shall take a decision to open Anganwadi Centres on or before 31.01.2021 situated outside the containment zone.

II) The decision for not opening Anganwadi Centres in any State/Union Territories or any part of State/Union Territories shall be taken only after the State Disaster Management Authority of the State direct for not opening of Anganwadi Centres in State/particular area of the State situated outside containment zone.

III) Anganwadi Centres situated in the containment zone shall not be opened till the containment continues.

IV) All States/Union Territories shall ensure that nutritional standards as provided in Schedule II of National Food Security Act, 2013, reproduced herein above in para 13 is fulfilled by providing nutritional support to pregnant women, lactating mothers, nutritional support to children who suffer from malnutrition.

V) All the States/Union Territories shall issue necessary orders regarding monitoring and supervision of Anganwadi Centres to ensure that the benefit reaches to the beneficiaries and a Complaint Redressal Mechanism be put in place in each district.

उक्त के क्रम में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, निदेशालय के पत्रांक संख्या: सी-977 दिनांक 21 जनवरी, 2021 के माध्यम से प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों को केन्द्र संचालन के सम्बन्ध में पृथक से निर्देश दिये गये हैं।

भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या F.N.PA/85/2020, दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 के माध्यम से सभी प्रदेश में माह में दो बार आंगनबाड़ी केन्द्र पर छोटे-छोटे समूहों में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए दो सामुदायिक गतिविधियों के संचालित करने के भी निर्देश दिये हैं। यह गतिविधियां कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर के क्षेत्रों में ही आयोजित की जायेंगी। शासन द्वारा जिलाधिकारी को कोविड-19 अन्तर्गत गतिविधियों के लिए अधिकृत किया गया है।

1—केन्द्र पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियां कृपया शासन के पत्र 7 अगस्त, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें।

- मासिक वजन दिवस (प्रथम मंगलवार)
- गोद भराई दिवस/सुपोषण दिवस (द्वितीय मंगलवार)
- अन्नप्राशन दिवस/वाश डे (चतुर्थ मंगलवार)

2—वर्तमान में भारत सरकार द्वारा माह में दो सामुदायिक गतिविधियां को 250/- की दर से (गतिविधि आयोजित करने हेतु आवश्यक सामग्री के क्रय हेतु 225/- अन्य व्यय ₹0 25/-) निर्धारित की गई हैं।

3—कोविड-19 के कारण केन्द्र बन्द होने के कारण 2020-21 वित्तीय वर्ष में माह जनवरी में वॉशडे (एक गतिविधि) तथा माह फरवरी, मार्च में (दो—दो गतिविधियां) अन्नप्राशन व गोदभराई दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। माह जनवरी में यह गतिविधियां गृह आधारित होगी तथा फरवरी व मार्च में यह केन्द्र आधारित होंगी।

4—केन्द्र स्तर पर गतिविधि आयोजित करते समय 7 अगस्त, 2020 के दिशा-निर्देशों का पालन करें।

5—कोविड-19 संबंधी प्रोटोकाल:-

- केन्द्र पर हाथ होने की व्यवस्था (साबुन—पानी)
- लाभार्थियों के बैठने की व्यवस्था (जमीन पर 6 फीट की दूरी पर गोले बनायें)
- प्रत्येक गतिविधि के आयोजन के समय कक्ष के साइज को ध्यान में रखते हुए छोटे समूह में लाभार्थियों को आमंत्रित करें।
- मुँह पर मास्क लगाकर ही बाते बतायें व समझाये (5 या 5 वर्ष से छोटी आयु के बच्चों के) के परामर्श हेतु आई०एल०ए० टेकअवे का प्रयोग करें।

कृपया गतिविधि दिवस की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निम्न बातों का अवश्य ध्यान दें:-


- गतिविधि दिवस कम से कम 1-1.5 घण्टे का होना चाहिए।
- गतिविधि दिवस में प्रतिभाग करने वाले पात्र लाभार्थियों का चयन सही तरीके से होना चाहिए (अन्नप्राशन दिवस हेतु 6 माह पूर्ण कर चुके बच्चे तथा गोदभराई हेतु पहले त्रैमास की गर्भवती महिला)
- छूटे हुये पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर सत्र पर बुलाया जाये जिससे की व्यवहार प्रोत्साहन की प्रक्रिया सतत जारी रहें। छूटे हुये लाभार्थियों की फॉलोअप योजना बनायें।
- आई०एल०ए० टेकअवे का प्रयोग किया जाये जिससे की महत्वपूर्ण संदेश छूटे नहीं।
- अन्नप्राशन तथा गोदभराई के समय लाभार्थी का वजन भी अवश्य लिया जाये जिससे की परामर्श को आउटकम आधारित बनाने में सफलता प्राप्त हो।
- गतिविधियों का पूर्णतया रिकार्ड रखा जाये।
- आयोजित गतिविधियों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 5 तारीख को snmgroup@gmail.com पर उपलब्ध करायें।

उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करायें।

भवदीय,
K.S.
27/01/2021
(कपिल सिंह)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. पोषण विशेषज्ञ—यूनिसेफ, लखनऊ, उ0प्र0।


27/01/2021
(कपिल सिंह)
निदेशक